मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010 वैशाख 10, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 950-म.प्र.विनिआ-2010.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (h) एवं 181 (2) (zd) सहपठित धारा 36 एवं 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 जो दिनांक 8 मई 2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्न संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (प्रथम संशोधन)

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (प्रथम संशोधन) [ARG-28 (I)(i), वर्ष 2010]" कहलायेंगे.

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञप्ति-प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे.

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

2. **विनियम के खण्ड 27 में संशोधन.—"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009"** के खण्ड 27.6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"27.6 आयोग के मतानुसार, विद्यमान कर्मचारियों के पेंशन अंशदान हेतु वांछित निधि अर्थात् केवल प्रत्येक वर्ष के चालू दायित्वों को एमपी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, एमपी जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड तथा तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की कर्मचारी लागत में अनुज्ञेय किया जाना चाहिए. आयोग, इस बीच अन्तर्वर्ती अवधि में वास्तविक पेंशन भुगतान तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधाएं, जैसे कि उपादान (ग्रेच्युटी) हेतु वांछित निधि अनुज्ञेय करता आ रहा है. पेंशन देयकों में द्रुत वृद्धि के साथ-साथ इसका खुदरा विद्युत दर (टैरिफ) पर उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता जा रहा है. वास्तविक पेंशन भुगतान को अनुज्ञेय किये जाने की इस व्यवस्था को बनाए रखा जाना कठिन होता जा रहा है तथा निकट भविष्य में इसे विराम देना होगा. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, कर्मचारियों के अनिधित पेंशन दायित्वों तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में निम्न कार्यवाही की जानी चाहिए :—

(अ) पेंशनरों के पेंशन दायित्वों के अवधारण हेतु तथा एक ओर विद्यमान कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं हेतु तथा दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले राजकोषीय वर्ष (Fiscal Year) हेतु कार्यरत कर्मचारियों हेतु एक जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) प्रत्येक वर्ष हेतु संचालित कराया जाए तथा इसके निष्कर्षों को आयोग को 28 फरवरी 2010 तक प्रतिवेदित किया जाए. इस गतिविधि का प्रभार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सौंपा जाता है.

(ब) इस अनिधित दायित्व (unfunded liability) हेतु योजना को अन्तिम रूप दिया जाए तथा राज्य शासन द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2010 तक टर्मिनल प्रसुविधा न्यास निधि (Terminal Benefit Trust Fund) हेतु निबंधन (terms) निर्धारित कर दिये जाएं. अन्तिम की गई योजना इस प्रकार की हो जो यह सुनिश्चित करे कि पूर्व के अनिधित दायित्व अन्ततः खुदरा विद्युत (टैरिफ) पर भार न बनें तथा योजना सभी स्टेकहोल्डर्स के लिये न्यायसम्मत हो.

(स) चूंकि उपरोक्त (अ) तथा (ब) में दर्शाई गई कार्यवाही में और समय लगेगा, टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु निधि को अनुज्ञेय किये जाने हेतु विद्यमान व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु वास्तविक भुगतान आधार पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में चालू रखी जाएगी."

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 16th April 2010

No. 950-MPERC-2010.—In exercise of powers conferred by Section 181 (2) (h) and 181 (2) (zd) read with Section 36 and 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2009 notified on 8th May 2009 :

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF TRANSMISSION TARIFF) REGULATIONS, 2009

1. **Short Title and Commencement.**— 1.1 These Regulations shall be called **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmisson Tariff) Regulations, 2009 (First Amendment) [ARG-28 (I) (i) of 2010]".**

1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall come in force with immediate effect from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Clause 27 of the Regulation.**—In the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2009,** the following shall be substituted in Clause 27.6, namely :—

"27.6 As per the Commission's view, the funds needed for pension contribution of existing employees i.e. current liability for each Year alone should be allowed in the employee cost of the M. P. Power Transmission Company Ltd.; M. P. Power Generating Company Ltd. and the three Distribution Companies. The Commission, in the intervening period, has been allowing expenses towards actual pension payment and other terminal benefits like gratuity as a pass thruough in the ARR. With the rapid increase in terminal benefit expenses, its impact on retail tariff is progressively going up. This arrangement of allowing actual expenses in ARR is becoming unsustainable and will have to be discontinued in near future. In view of the above, following action need be taken in the matter of unfunded pension liabilities and terminal benefits of employees :—

(a) An actuarial analysis for determining pension liability of pensioners as also for service already rendered by existing employees on one hand and current provision needed for each fiscal year commencing from FY 2010-11 for serving employees on the other hand, be got conducted for each Year for each Company and findings be reported to the Commission by 28th February 2010. The M. P. Power Transmission Company Ltd. shall act as a nodal agency for this activity.

(b) The scheme for funding this unfunded liability is finalized and terms for operating Terminal Benefit Trust Fund are set by State Government by 30th April 2010. The scheme so finalized be such that it ensures that the burden of past unfunded liability does not become a charge eventually on retail Tariff only and that the scheme is fair to all the stakeholders.

(c) Since actions as in (a) and (b) above will take time, the existing arrangement of allowing expenses for terminal benefits in ARR of MP Power Transmission Company Ltd. shall continue on actual payment basis upto FY 2010-11 to the Transmission Licensee.

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्र. एफ-22-60-2008-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ड) तथा धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" के भाग 4(ग), दिनांक 19 मार्च 2010 को पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 202 में, उपनियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्—

"(11) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी सीमा जांच चौकी या अन्य जांच चौकियों पर, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों, दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि तौलना, डाटा एन्ट्री, माल के लादने तथा उतारने, पार्किंग तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिए सेवा प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो कि यान के स्वामी या चालक द्वारा वहन किए जाएंगे और भिन्न-भिन्न जांच चौकियों के लिये भिन्न-भिन्न सेवा प्रभार अधिसूचित किये जा सकेंगे."

No. F 22-60-2008-VIII.—In exercise of the powers conferred by clause(b) and (e) of sub-section (2) of Section 138 and Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously

published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-4 (c), dated 19th March 2010 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 202, after sub-rule (10), the following new sub-rule shall be added, namely:—

"(11) The State Government may, by notification in the official Gazette, specify the service charges which shall be borne by the vehicle owner or driver at the border check post or at such other check posts, as specified in the said notification, for the services such as weighment, data-entry, loading and unloading of goods, parking and other allied services offered at such check post, and different service charges may be notified for different check posts."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. एफ-1-6-2010-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन, कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 2 में, अनुक्रमांक उनसठ तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"साठ—अपरम्परागत ऊर्जा विभाग."

2. अनुसूची में,—

(एक) शीर्षक "तेरह—ऊर्जा विभाग" के अधीन, भाग (अ) में, शीर्षक "विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय" के अधीन अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाए;

(दो) शीर्षक "उनसठ" के पश्चात् निम्नलिखित नया शीर्षक, भाग तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"साठ—अपरम्परागत ऊर्जा विभाग

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. अपरम्परागत ऊर्जा के संसाधनों का विकास एवं प्रचार-प्रसार.

2. ऊर्जा के वैकल्पिक साधन जिसमें बायोगैस सम्मिलित है.

3. ऊर्जा संरक्षण कार्य.

4. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ.—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (केवल ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों से संबंधित)

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

कुछ नहीं.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित बोर्ड तथा निगम :

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

कुछ नहीं.

(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

कुछ नहीं.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए-1-6-2010-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-1-6-2010-एक (1), दिनांक 28 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th April 2010

No. F 1-6-2010-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 2, after serial number LIX and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely :—

"LX Non-conventional Energy Department".

2. In the Schedule,—

(i) under the heading "XIII- Energy Department", in part (A), under the heading "Matters of Policy dealt within the Department", serial number 3 and entry relating thereto shall be omitted;

(ii) after heading LIX the following new heading, parts and entries shall be added, namely :—

"LX- NON-CONVENTIONAL ENERGY DEPARTMENT

(A) Matters of Policy dealt within the Department :

1. Development and publicity of non conventional energy resources.

2. Alternet sources of energy including Bio-Gas.

3. Energy conservation work.

4. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e.g. appointments, postings, transfers, pay leave, pension, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.

(B) Acts and rules administred by the Department :

1. Energy Conservation Act, 2001 (only related to renewable sources of energy)

(C) Directorates and offices coming under the Department :

Nil.

(D) Boards and Corporations set-up under Acts :

1. Madhya Pradesh Energy Development Corporation.

(E) Other institution and bodies not covered under (D) above :

Nil.

(F) Name of the Service, if any, coming under the Department and special service matters, if any :

Nil.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRADEEP KHARE, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.